पंचायत आम निर्वाचन– 2021
अति महत्वपूर्ण

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या–प0नि0 30–125/2021 1978

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
मधेपुरा।

पटना, दिनांक– 6.4.21

विषय :– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित मतदान केन्द्र पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–403, दिनांक–08.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–26 के अन्तर्गत स्तंभ–5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	कुमारखंड	1	0	1	
कुल		**1**	**0**	**1**	

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम–8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक–1978/– पटना, दिनांक–6.4.21/–

प्रतिलिपि:– आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

सचिव।

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला पंचायत कार्यालय)

पत्रांक......403/पं0

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-जिलाधिकारी, मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक....9..../..3..../2021

विषय : **पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त संशोधित मतदान केन्द्र के प्रस्ताव भेजने के संबंध में।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-पं.नि.30-34/2020-966, दिनांक-22.02.2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-328/पं0, दिनांक-24.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त 38(अड़तीस) संशोधित मतदान केन्द्र एवं 61(एकसठ) सहायक मतदान केन्द्र की सूची अनुमोदन हेतु भेजी गयी थी। पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा 01 संशोधित मतदान केन्द्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नप्रकार हैः-

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र की सं0	पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं पता	संशोधन का कारण/औचित्य
01	टेंगराहा परिहारी	128	आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मतदान मंडप	नव0 प्राथमिक विद्यालय भित्ता टोला परिहारी	वर्त्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी रहने के कारण

अतः अनुरोध है कि उक्त संशोधित मतदान केन्द्र के प्रस्ताव को अनुमोदित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

9.3.21

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-जिलाधिकारी, मधेपुरा।

1778
10.3.21

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

298

प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड

पत्रांक...383-2/

प्रेषक :-

निर्वाची पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुमारखंड।

सेवा में,

उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
-सह-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

कुमारखंड, दिनांक...03-03-2021

विषय :- मतदान केन्द्र परिवर्तन ग्राम पंचायत- टेंगराहा परिहारी के प्रस्ताव का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्राम पंचायत-टेंगराहा परिहारी में मतदान केन्द्र संख्या-128 आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मतदान मंडप, वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के अन्दर हैं। चुनाव आयोग(पंचायत) के दिशा निर्देश के अनुसार मतदान केन्द्र परिवर्तन की आवश्यकता हैं। जिस संबंध में स्थानिय व्यक्ति द्वारा दुरभाष से प्राप्त सूचना के आलोक में स्थलीय जॉच के क्रम में सही पाया गया।

अतः अनुरोध है कि मतदान केन्द्र संख्या-128 को परिवर्तन करते हुए नव0 प्राथमिक विद्यालय भित्ता टोला परिहारी में अनुमोदन करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

निर्वाची पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुमारखंड।

Letter by Rajesh Ex.Asst._ safat babu

297

-11-

प्रपत्र- 2

[नियम 2 (म) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची :-

जिला :- मधेपुरा

प्रखंड- कुमारखंड

ग्राम पंचायत- टेंगराहा परिहारी

क्रमांक	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/ औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा०नि०क्षेत्र संख्या......)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र०....से. .... तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकासी की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते है अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	128	आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मतदान मंडप	नव० प्राथमिक विद्यालय भित्ता टोला, परिहारी	मतदान केन्द्र संख्या-128 (आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मतदान मंडप) उक्त स्थल टेंगराहा परिहारी के वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के अन्दर है।	राम टोला एवं मुसहरी-12	652	सरकारी	3	2 किलो मीटर	हाँ	हाँ	मतदान केन्द्र संख्या-128 (आंगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मतदान मंडप) उक्त स्थल टेंगराहा परिहारी के वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के अन्दर है।

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित है तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। दलित मतदान केन्द्र की स्थापित उक्त क्षेत्र में सरकारी/ अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुमारखंड।

ज्ञापांक 382-2 / कुमारखंड, दिनांक 03-03-2021

प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुमारखंड।

04.03.2021

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

04/3/21

उप विकास आयुक्त
मधेपुरा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिलाधिकारी, मधेपुरा